भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1384 #
जिसका उत्तर गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

अदालतों के समक्ष अत्यधिक समय से लंबित दीर्घकालिक मामले

1384 # श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की निचली अदालतों में 25 वर्षों से अधिक समय से कितने मामले लंबित हैं ;

(ख) क्या न्याय के लिए लंबे समय से लंबित मुकदमों के वहन के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है जिससे यह पता चल सके कि न्याय पाने के लिए आम आदमी पर कितना आर्थिक दवाब पड़ता है ; और

(ग) अत्यधिक लम्बे समय तक मामलों के लंबित रहने के क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 06.12.2023 तक, देश की निचली अदालतों में 25 वर्षों से अधिक समय से 2,32,047 मामले लंबित हैं। तथापि, लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के विशेष क्षेत्र में आता है और केन्द्रीय सरकार की उक्त मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

(ख) और (ग) : जी नहीं, आम आदमी पर लंबित मामलों के प्रभाव के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। न्यायालयों में मामलों के लंबित होने के कई हितधारकों से जुड़े अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों का सहयोग अर्थात् वर्जन, बार, जांच एजेंसियां, साक्षी और कक्षीकार, नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन तथा पर्याप्त भौतिक अवसंरचना और पर्याप्त सहायक न्यायालय कर्मचारियों की अनुपलब्धता शामिल हैं । मामलों के निपटान में देरी का कारण बनने वाले अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, ट्रैक और बंच मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है। इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों के लंबित होने की स्थिति में, आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस, अभियोजन, फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, हस्तलेख विशेषज्ञ और चिकित्सा-विधि विशेषज्ञ के सहायता पर कार्य करती है । संबद्ध एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान करने में देरी से मामलों के निपटान में भी देरी होती है।

जबकि मामलों का शीघ्र निपटान न्यायपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, मामलों के शीघ्रता से निपटान की सुविधा के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: -

i. राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके पहुंच बढ़ाने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों तथा क्षमताओं को निर्धारित करके बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि, क्षेत्रों में नीति और विधायी उपायों सहित अत्यधिक मुकदमेबाजी की संभावना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालयी प्रक्रिया की पुनर्रचना और मानव संसाधन विकास पर जोर देने सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कमरे के निर्माण के लिए धन जारी किया जा रहा है, जिससे वकीलों और कक्षीकारों का जीवन आसान हो जाएगा जिससे न्याय वितरण में सहायता मिलेगी।

iii. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-कोर्ट चरण-III को मंजूरी दे दी है। चरण- **I** और चरण- **II** के लाभ को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-कोर्ट चरण- **III** का लक्ष्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था प्रारंभ करना है । इसका आशय सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को शामिल करने का है।

iv. उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को नियमित रूप से भरना इस सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। जिसके परिणामस्वरूप, आज भारत का उच्चतम न्यायालय 34 न्यायाधीशों की पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 कर दी गई है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियाँ गठित की गई हैं।

vi. केंद्रीय सरकार ने भा.द.स. के अधीन बलात्कार के लंबित मामलों और पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की एक योजना को मंजूरी दे दी है। 31.10.2023 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 412 विशिष्ट पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित कुल 758 एफटीएससी कार्यरत हैं। एफटीएससी योजना को 3 और वर्षों के लिए अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।

vii. लंबित मामलों को कम करने और अदालतों में रुकावटों को दूर करने के दृष्टि से, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन)

अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018, जैसी विभिन्न विधियों में संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। इस उद्देश्य से, हाल ही में सरकार ने माध्यस्थम् अधिनियम, 2023 को अधिनियमित किया है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम की पहली अनुसूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध ऐसे मामलों को छोड़कर, माध्यस्थम् अधिनियम, 2023 के उपबंधों के संदर्भ में नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में मध्यस्थम् की जा सकती है जिसमें माध्यस्थम् अधिनियम, 2023 की परिधि के अधीन अधिकांश तुच्छ अपराधों को छोडकर केवल बड़े अपराधों को बाहर रखा गया है ।

ix. आम लोगों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालतों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालतें तीन प्रकार की होती हैं: राष्ट्रीय लोक अदालतें, राज्य लोक अदालतें और स्थायी लोक अदालतें। देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं, जो मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान की सुविधा के लिए विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती हैं। जून, 2020 से, ऑनलाइन लोक अदालत/ई-लोक अदालतों का वस्तुतः आयोजन किया गया है, जो पक्षकारों की बातचीत और सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे लोग इंटरनेट तकनीक की मदद से अपने घरों से प्रभावी ढंग से भाग ले सकते हैं।

x. 2017 में प्रारंभ किए गए टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन, ग्राम पंचायत में स्थित और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाता है।

xi. इसके अतिरिक्त, देश में प्रो-बोनो संस्कृति और प्रो-बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं ।

****